**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 533 सन 2018 .
अनवान :–

1. सुमित्रा पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।

वादी

**बनाम**

1. लालचन्द पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा खूइया के खाता संख्या 86/295 के खसरा न0 605/7.7540हैक भूमि जिसके प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 2.530हैक के खातदोर काश्तकार है

वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सूविधा को देखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वाद भूमि वादीया को प्राप्त हुई थी।

वादी भूमि का बाहमी बटवारा वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजो के समय किया गया था तबी से लेकर वाद भूमि वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसके कारण वादीया वादी भूमि की खातेदार काश्तकार हो गयी है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवा पाने की अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उनके पूर्वजों के समय में ही बटवार कर दिया गया था बाहमी बटवारा में वाद भूमि बादीया को प्राप्त हुई थी जो उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा/ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर वकील वादीया को सुना गया।

वकील वादीया के अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसका आपसी सहमति से उनके पूर्वजों के समय बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वादी भूमि वादीया को प्राप्त हुई थी वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने वकील वादीया की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज वादीया एवं

Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादीया का कथन है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या दोनो के पूर्वजों ने काफी समय पूर्व वाद भूमि का काश्त की सुविधा के मध्यजनर बाहमी बटवारा करं दिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करती आ रही है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है वादीया के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि बाहमी बटवारा में वादीया को प्राप्त हुई जो उसके कब्जा काश्त में चली आ रही हे जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व राजीनामा पेश किया जा चुका है इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आपसी सहमति के आधार पर वादीया का वाद काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादीया डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 86/295 के खसरा न0 605 की 7.7540हैक भूमि में सयुक्त तौर से 2.530हैक भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )